बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–2/अ०प्र०–1–76/24 – 1874 /पटना, दिनांक :– 19.06.24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा अररिया जिला के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत सिकटी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 के अधीन दिनांक 18.06.2024 को बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए कार्य से संबंधित अभियंताओं एवं संवेदक को जिम्मेवार माना गया है।

इसी क्रम में श्री आशुतोष कुमार रंजन, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अररिया द्वारा भी क्षतिग्रस्त पुल से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे ज्ञात हुआ कि इनके पदस्थापन के दौरान भी पुल के कुछ हिस्सों का निर्माण हुआ है तथा इनके द्वारा भुगतान भी किया गया है। स्पष्ट होता है कि श्री रंजन द्वारा पुल निर्माण कार्य का सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया गया है एवं कर्त्तव्यहीनता बरती गयी है। साथ ही उन्होंने अपने प्रारंभिक प्रतिवेदन में जॉच को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री आशुतोष कुमार रंजन, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रंजन का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 19/06/24

(डा0 फतेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–76/24 – 1875 /पटना, दिनांकः– 19.06.24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

Sd/- 19/06/24

संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांकः– 19.06.24

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–76/24 – 1875

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–1–76/24 – 1875 /पटना/दिनांकः– 19.06.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, अररिया/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री आशुतोष कुमार रंजन, कार्यपालक अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–76/24 – 1875 /पटना/दिनांकः– 19.06.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/06/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–76/2 – 1875 /पटना/दिनांकः– 19.06.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/06/24

संयुक्त सचिव